

8/10
22

उभय पक्ष रयस्थित पाठाखान आधिकाय सजायक
कार्य से बाहर हैं। अवकाश पर है / पदरिक्त है
अतः पत्रावली बिनांक 22.12.22 को पेश हो।

रीडर

उपखण्ड अधिकारी माण्डल

29/11
22

उभय पक्ष उपखण्ड अधिकारी राजकीय
कार्य से बाहर हैं। अवकाश पर है / पदरिक्त है।
अतः पत्रावली बिनांक 22.12.22 को पेश हो।

रीडर

उपखण्ड अधिकारी माण्डल

27.12.22

पत्रावली पेश हुई, वकील प्राणीगण उपस्थित, अप्राणीगण
के सम्मन वाड बाणिल होकर प्राप्त हुए जिसे शां पठिये
गये। अप्राणीगण को किरकी मर्तबा कक-कक कर आया जे
दिलायी जाने के बाद भी उपस्थित नही, इनके विकट
हक तरफा कार्यवाही किये जागे का आदेश दिया जागा है
वकील प्राणीगण का आठ पत्र स्वीकार किया जाकर शिर्षपक्ष
से लिखा जाकर शां पठिया गया। पत्रावली कुँसल शुमार
होकर नम्बर से कम है।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, माण्डल जिला भीलवाड़ा (राज0)

नम्बर व
अवकाश
द्वारा की
ने जारी

अधिकारी- नारायण लाल जीनगर (आर0ए0एर0)

क्रमांक- 100/22 प्रा-पत्र

क्रमांक 3/0 भुवा भाली निवासी- गालीरोडा (पुराना) तहसील-माण्डल (बगैरा)

-प्राची

बनाम

क्रमांक 3/0 नारायण भाली निवासी- गालीरोडा (पुराना) तहसील-माण्डल (बगैरा)
(सहसंकिन प्राप्ति प्राप्त)

-विपक्षीय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा अधि 1956

दिनांक - 27.12.22

::आदेश::

ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन के नाम गालीरोडा पटवार हत्का पुराना तहसील माण्डल में उसके युक्त खाते की आराजी नं. 103 कुल कित्ता 01 रकबा 0-1012 स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीय के मध्य आराजी मुतदायिका के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये या संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्राची अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की के आदेश प्रदान कराये जायें।

प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 20.09.22 को पंजीयत किया जाकर प्रकरण को से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्राची एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढ़ी कराने का है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते में के न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र रद्दीकार योग्य है।

::आदेश::

1 प्रार्थना पत्र धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर गालीरोडा पटवार पुराना तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आरजी नं. 103, कित्ता 01 रकबा 0-1012 हेक्टर भूमि के धारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी देने हेतु पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश किया जाता है। पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु भू-अभिलेख नौजा को 500/- रूपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने कराने की मौजूदगी में भीक व कब्जे की पश्चात्स्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील विन्दु को आधार पत्थरगढ़ी की जायें। फरसल खड़ी होने पर पत्थरगढ़ी नहीं की जाये।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा

धे- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्राची द्वारा शशि जमा कराने पर नियमानुसार की गयी जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा